

कोविड -19 महामारी को फैलने से रोकें
सार्वजनिक स्थानों पर न थुके,
दो गज की दूरी बनाए रखें,
मास्क जरूर पहनें व
हाथों को स्वच्छ रखें ।

सहायक आयुक्त (नई दिल्ली)
खादय संभरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप मामले विभाग
एम ब्लाक विकास भवन नई दिल्ली 110002

पत्र सं० -सहा.आयु.(न.दि.)/खा.वि.वि./नोटिस/सर्कल 44/2021/527-535 दिनांक 06/7/2021

सार्वजनिक सूचना

मंडल संख्या-44 (आर के पुरम) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत " आर. के. पुरम. एवं आस पास के श्रेत्र एकता विहार " श्रेत्र में अस्थाई (केवल तीन महीने हेतु) राशन की एक दुकान खोलना अपेक्षित है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो की विभाग के सर्कुलर संख्या एफ.5(7) / Misc./P.file/534-536 दिनांक 18/03/2015 दवासा जारी दिशा निर्देशो के अंतर्गत पात्रता रखता है, वह निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भर कर अन्य अनिवार्य दस्तावेजो के साथ मंडल संख्या -44 (आर के पुरम), सेक्ट-8/938, आर के पुरम नई दिल्ली में दिनांक 09.07.2021 सायं 5.00 बजे तक जमा कर सकते है। आवेदन पत्र मंडल संख्या-44 (आर के पुरम) से प्राप्त किया जा सकता है।

अधोहस्ताश्रककर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के उपरोक्त रिक्त/रिक्तियों कि संख्या को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा । किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन स्वीकार्य व विचारणीय नही होंगे ।

राजेश सकरवाल
सहा. आयुक्त (नई दिल्ली)

पत्र सं० -सहा.आयु.(न.दि.)/खा.वि.वि./नोटिस/सर्कल 44/2021/527-535 दिनांक 06/7/2021

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु:

1. सूचना प्रौद्योगिकी शाखा (आई टी ब्रांच) के ब्लाक विकास भवन नई दिल्ली , विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु।
2. सभी खादय संभरण अधिकारी (नई दिल्ली जिला), नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड , कार्यालय सहा. आयु. नई दिल्ली

राजेश सकरवाल
सहा. आयुक्त (नई दिल्ली)